तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
12/11/25	पत्रावली पेश हुई। बहिः उप.। पुनः बहस सुनी गई। पत्रावली का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता पर मनन करते हुए प्रचलित विधि प्रावधानों का अध्ययन किया। माननीय उच्चतम विशेष के आलोक में प्रार्थी अभ्यर्थी अभ्यर्थी निवेदन का जरूरी साबित नहीं होने व गैरमीन होने से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर सुनाया किया गया। पक्षकार कैलाश कुमार पेपर नम्बर 15 का कथ्य है। बाद तकमील जरूरत दाखिल दफ्तर लेखा। भेजा जाय है। (मनोज कुमार मीणा RAS) उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, जैतारण (ब्यावर)